न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष - आशीष श्रीवास्तव

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 4116/तीन/14 विरूध्द आदेश दिनांक 21/10/2014 पारित व्दारा राजस्व निरीक्षक मण्डल मनगंवा तहसील मनगंवा जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 99/अ-6/13-14

शिवकुमारी पुत्री चन्द्रभान राम पत्नी वृन्दावन प्रसाद चतुर्वेदी
उम्र 63 वर्ष निवासी ग्राम मनगंवा, तहसील व थाना मनगंवा
जिला रीवा म0 प्र0 - आवेदक

- विरूध्द -

1 श्रीमती जानकी देवी उम्र 85 वर्ष पत्नी स्व0 लक्ष्मण प्रसाद
2 रंगनाथ मिश्रा उम्र 62 वर्ष
3 कपिल मुनि मिश्रा उम्र 38 वर्ष
पिसरान स्व0 लक्ष्मण प्रसाद ब्रा0
सभी निवासीगण ग्राम मनगंवा, थाना व तहसील मनगंवा जिला रीवा
- अनावेदक

श्री सर्वेन्द्र कुमार पाण्डेय,अभिभाषक, आवेदक

आ दे श

(आज दिनांक 10/3/16 को पारित)

१. यह निगरानी प्र क्र 4116/तीन/14 रा.मं. में म0 प्र0 भू'राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा ५० के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक मण्डल मनगंवा तहसील मनगंवा जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 99/अ-6/13-14 में पारित आदेश दि २०-६-१३ के विरुद्ध संस्थित हुआ है.

मैंने आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने और नस्ती का परिशीलन किया.

अनु अधि के आक्षेपित आदेश दि २१-१०-१४ के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि उन्होंने इस आदेश से अनावेदक पक्ष की ओर से अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को इस कारण माफ़ किया क्योंकि उनके अनुसार ना तो उनके समक्ष का अपीलार्थी यह स्पष्ट कर पा रहा था कि उसे नामांतरण की जानकारी कब और कैसे हुई, और ना ही उनके समक्ष का उत्तरवादी यह स्पष्ट कर पा रहा था कि अपीलार्थी को उक्त जानकारी कब और कैसे हुई, जिसके चलते उन्होंने, यह कारण लिखते हुए कि किसी को भी अपनी बात कहने से वंचित ना होना पड़े, धारा ५ का आवेदन स्वीकार किया है.

इस न्यायालय के समक्ष के आवेदक का यह कहना है कि अनु अधि के समक्ष के अपीलार्थी (इस न्या में अनावेदकगण) को उक्त नामांतरण की जानकारी थी क्योंकि (१) वर्ष १९९७ में आवेदकपक्ष ने स नं ९/२ लल्लू को बेचा था, जिसे लेकर मान व्यव न्या. वर्ग-१, रीवा के व्यव. वाद. क्र ३अ/९९ में वे (अनु अधि के समक्ष के अपीलार्थी और इस न्या में अनावेदकगण) अनावेदक क्र २ से ४ थे, और वहां के आदेश दि १९-१२-०५ से यह स्पष्ट है कि अनावेदकों को इस बात की जानकारी थी कि आवेदक के पिता चंद्रभान वाद भूमि स नं ९ एवं १० के अंश भाग के स्वत्वधारी थे, (२) वर्ष १९९६-९७ के खसरे से यह स्पष्ट है कि अनावेदकगण ने स नं ९/१, १०/१, १०/२ का वरसाना नामांतरण अपने पक्ष में कराया था, यानि उन्हें वर्ष १९९६ में यह पता था कि वे स नं ९ एवं १० के अंश भागों के ही हितधारी हैं, शेष भागों के नहीं, जिनका हितधारी अवेदकपक्ष है, (३) उन्होंने (अनु अधि के समक्ष के अपीलार्थी और इस न्या में अनावेदकगण ने) वर्ष २००५ में अपने हिस्से का स नं १०/१ कल्पना को बेचा था, यानि उन्हें यह मालूम था की स नं १०/१ उनका है, और (४) शास. पूर्व माध्यमिक शाला, गढ़िकला, रीवा के प्रधानाध्यापक की ओर से सूचना के अधिकार के अंतर्गत पत्र दि १२-८-०४ से दी गई जानकारी के अनुसार अनावेदक-२ रंगनाथ को उस विद्यालय से दि ११-१०-१९९३ को शास. प्रा. शाला, इटहाडाडी के लिए मुक्त कर दिया गया था, जिसके प्रकाश में, आवेदक के अनुसार, रंगनाथ का यह कहना स्वीकारयोग्य नहीं होना चाहिए कि वे सरकारी नौकरी में कहीं दूर पदस्थ थे इसलिए उन्हें समय से जानकारी नहीं मिल पाई थी.

मैं यह मानता हूँ कि आवेदक द्वारा इस रा मं न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत तर्कों को उन्हें अनु अधि के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, और अनु अधि को उनके धारा ५ पर निर्णय लेने वाले

आदेश में उनपर विचार कर, उनका स्पष्ट लेख कर, उनका निराकरण करते हुए, अपना धारा ५ सम्बन्धी आदेश पारित करना चाहिए था. स्पष्टतः, अनु अधि के आदेश में आवेदक की ओर से इस रा मं न्यायालय के समक्ष बताए गए उक्त बिंदु अवलोकनीय नहीं हैं.

उपरोक्त विवेचना के प्रकाश में और उसके आधार पर मैं अनु अधि का विलम्ब माफ़ी किये जाने का आक्षेपित आदेश दि २१-१०-१४ समुचित रूप पूर्ण, स्व-स्पष्ट एवं बोलते स्वरुप का नहीं होने के कारण निरस्त करता हूँ. साथ ही, क्योंकि यह महतवपूर्ण है कि न्याय होने के साथ साथ कोई भी विधिक प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं का दुरूपयोग नहीं करे, अतः मैं अनु अधि को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय में उभयपक्ष को धारा ५ के आवेदन पर पुनः सुनें, उन्हें साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि का अवसर दें, और तदुपरांत इस आवेदन पर बोलते स्वरुप का स्पष्ट निर्णय नए सिरे से पारित करें.

मैं पक्षकारों, विशेषकर इस न्यायालय के आवेदकपक्ष को भी यह निर्देश देता हूँ कि वे उन्हें रा मं के इस आदेश की संसूचना के अधिकतम १ सप्ताह के भीतर या अनु अधि का नोटिस प्राप्त होने पर उसमे बताई गई दिनांक को, जो भी पहले हो, अनु अधि, मनगवां के समक्ष अपने पक्ष समर्थन हेतु उपस्थित हों. यदि वे ऐसा नहीं करेंगे तो अनु अधि उन्हें योग्य अवसर देने के उपरांत प्रकरण में कार्यवाही आगे बढाने के लिए मुक्त होंगे.

इन्ही निर्देशों के साथ यह प्रकरण रा मं से समाप्त किया जाता है.

आदेश पारित.
पक्षकार एवं अनु अधि, मनगवां सूचित हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर